No. 21/155/2014-M&G
Government of India
Ministry of Home Affairs
.....

NDCC-II Building, 5th Floor
'B' Wing, CS Division
Jai Singh Road, New Delhi
Dated 16th July, 2014

To

Shri Jay Bahadur Singh,
Civil Court, Siddharthnagar,
Uttar Pradesh- 272 207.

Subject:- Information sought under RTI Act, 2005 reg.

Sir,

Please refer to this Ministry's O.M. No.A-43020/01/2014-RTI dated 07.7.2014 wherein your RTI application dated 03.06.2014 has been forwarded to this CPIO for furnishing available information.

2. The subject matter of the RTI application does not fall under this CPIO. It is more closely related to the Planning Commission. Your application has already been transferred to the Planning Commission vide PMO's letter No.RTI/3020/2014-PMR dated 11.6.2014 for furnishing available information directly to you. The information in respect of this CPIO may be treated as nil.

3. An appeal against the above decision would lie before Shri S.Suresh Kumar, Joint Secretary(CS) & First appellant Authority, Ministry of Home Affairs, NDCC-II Building, Jai Singh Road, New Delhi.

Yours faithfully

(Ashutosh Jain)
Director(CS-II) & CPIO
Tel. No. 2343 8147

Copy to:

Section Officer, IT Cell, Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi with the request to upload the information on MHA website.

3020/14 = 4 Jun

3020/14

URGENT
RTI ACT
Diary No. 17877
& Date 07/06/14
Last Date For Disposal 12/06/14

PRIME MINISTER'S OFFICE
- 7 JUN 2014
DAK SECTION

(3)

सेवा में,

श्रीमान सचिव / जन सूचना अधिकारी
प्रधान मंत्री कार्यालय - नई दिल्ली

विषय - प्रार्थनापत्र सूचना का अधिकार अधि०-2005

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी को निम्न बिन्दुओं पर प्रभावी सूचना उपलब्ध करायें -

(1) भारत के संविधान में वर्णित सप्तम अनुसूची में उल्लिखित केन्द्रीय सूची के विषयों पर केन्द्रीय सरकार का सीधा नियन्त्रण एवं क्रियान्वयन की जिम्मेदारी होती है परन्तु

समवर्ती सूची एवं राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर राज्य सरकारें द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है जबकि उक्त विषयों से सम्बन्धित वित्त की व्यवस्था 75% से 80% तक केन्द्रीय सरकार द्वारा मुहैय्या / उपलब्ध कराई जाती है यथा - शिक्षा, स्वास्थ्य समाजकल्याण, कृषि आदि ---

EA planning Commn.

वर्तमान सरकार द्वारा समवर्ती सूची / एवं राज्य सूची में उल्लिखित विषयों के सम्बन्ध में वित्त उपलब्ध कराने के बाद राज्यों पर किस प्रकार नियन्त्रण एवं उसकी मानीटरिंग की जायेगी तथा उक्त धन के दुरुपयोग होने पर राज्यों पर शास्ति एवं अन्य व्यवस्था क्या योजना है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी को उक्त के सम्बन्ध में प्रभावी, स्पष्ट एवं साधारण भाषा में सूचना उपलब्ध करायें। उक्त के सम्बन्ध में प्रार्थी जन सूचना शुल्क के रूप में Rs - 10.00 का पोस्टल आर्डर सं० - 17F 137354 भेज रहा है।

धन्यवाद

दिनांक - 03-06-2014

IPO No. 17F 137354 of Rs 10/-

प्रार्थी
(signature)
(जय बहादुर सिंह एडवोकेट)
सिविल कोर्ट - सिद्धार्थनगर उ०प्र०
PIN - 272207
Mob - 09794804261

3960324